राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
(अम्बेडकर भवन, जी–3/1, राजमहल रेजीडेन्सी ऐरिया, जयपुर–302005)

क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2019/ 18974 जयपुर दिनांक 24/12/19

–: आदेश :–

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा – 2016 के परिणाम के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा अनुसार कार्मिक (क–4/2) विभाग के पत्रांक प. 9(2) कार्मिक/क–4/2/2018 दिनांक 23.10.2019 के द्वारा नियुक्ति हेतु संदर्भित किये जाने पर राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत निम्नांकित सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा में ग्रुप 'ए–2' जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के पद पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से दो वर्ष की कालावधि (परिवीक्षा काल) के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर L-12 में राशि 31100/– पारिश्रमिक वेतन भत्तों पर एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है।

क्र.सं.	मेरिट संख्या	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम (सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती)	श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापित कार्यालय
1	1320	202296	श्री प्रशान्त राव पुत्र श्री सीताराम राव निवासी मकान नम्बर, 2/104, आवासन मण्डल, शिवाजी नगर, सवाईमाधोपुर (राजस्थान) 322001	SC,LD,RG,NG	06/12/1977	सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण ईकाई, भरतपुर

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तो के अधीन की जा रही है:–

1. उक्त नियुक्तियां मा. सर्वोच्च न्यायालय मे दायर एस. बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 18767/2018 नवीन तिलोटिया बनाम राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.08.2018, डी.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 4455/2018 ज्योति चौधरी बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 01.05.2018, मा. उच्चतम न्यायालय में दायर एस. एल. पी. (सी) संख्या–3595/17 शिवराम सिंह चौधरी बनाम राज्य व अन्य के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 03.08'17, मान. उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका संख्या 11200/2010 कन्हैयालाल बनाम आयोग एवं 6744/2008 आयोग बनाम निशक्तजन आयोग (मंयक मोदी प्रकरण), एस. बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 12879/2018 प्रवीण

कुमार चौधरी व अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 27.08.2018, एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 16032/2017 शैलेन्द्र सिंह शेखावत बनाम राज्य सरकार में पारित आदेश दिनांक 31.05.2018, उच्चतम न्यायालय में लम्बित विशेष अनुमति याचिका संख्या 22134/2018 (गरिमा शर्मा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार), विशेष अनुमति याचिका संख्या 22134/2018 (मानसी तिवारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) एवं विशेष अनुमति याचिका 6084–6093/2016 (हनुमान जाट एवं अन्य बनाम राज्य सरकार) तथा इस परीक्षा के संबंध में दायर विभिन्न रिट याचिका/विशेष अनुमति याचिकाओं (सील्ड कवर रखने के आदेश) एवं समस्त वादकरण के अन्तिम निर्णयों के अध्याधीन रहेगी।

2. इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006 एवं प.14 (1) वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प.15 (1) वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.17(सिडूल–4/रूल्स 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस.एल.पी. संख्या 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्यधीन होगा।
3. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 15(1)कार्मिक/क–2/74 दिनांक 16.8.2005 में वर्णितानुसार नियुक्ति आदेश प्रभावी होंगे।
4. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा नियम 1963 एवं समय–समय पर संशोधित नियमों के अनुसरण में उक्त सेवा नियमों के ग्रुप 'ए–2' जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई है।
5. उक्त नियुक्तियॉ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्यधीन है।
6. इन अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
7. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नही पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है, तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
8. सेवा से नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में से कोई भी अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग–पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की

गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तो के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नही होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बंधक पत्र निष्पादित करेंगे।

9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग–I अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नही होगा।
10. कार्मिक (क–2) विभाग की अधिसूचना दिनांक 04.07.2016 के अनुसरण में टीएसपी वर्ग अभ्यर्थियों से उक्त अधिसूचना के क्रम में शपथ पत्र लेना आवश्यक होगा।
11. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उनके चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरीफिकेशन, राज्य सरकार द्वारा संतोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र/पुलिस वेरीफिकेशन प्रतिकूल प्राप्त होता है तो उसकी नियुक्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नही होगा।
12. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में अभ्यर्थी को "Self declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी।
13. अभ्यर्थी को नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन अभ्यार्थियों द्वारा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत कर दिया है उन्हें, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
14. **नियुक्त अभ्यर्थी दिनांक 27–12–2019 तक निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. ,जयपुर में उपस्थिति देते समय निम्न दस्तावेज आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें:–**
    1. **नियुक्त अभ्यर्थी आवेदन के समय धारित शैक्षणिक योग्यताओं एवं सेवा आंवटन के समय धारित अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यताओं संबंधी मूल दस्तावेज एवं उनकी 1–1 स्वप्रमाणित प्रति।**
    2. **जन्मतिथि प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।**
    3. **विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।**
    4. **मूल निवास प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र (मूल एवं स्वप्रमाणित प्रति)।**
    5. **आपराधिक प्रकरणों के संबंध में 'self declaration' अथवा शपथ पत्र।**
    6. **वैवाहिक होने की स्थिति में जीवित संतान/संतानों की सूचना।**
    7. **गुटखे एवं धुम्रपान सेवन नही करने संबंधी वचनबद्ध प्रपत्र।**

यदि अभ्यर्थी निश्चित तिथि के 7 दिवस पश्चात तक भी रिपोर्ट नही करते है और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जायेंगा।

24-12-2019

(नन्नूमल पहाडिया)
आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक एफ1( )/स्था/सान्याअवि/2019/ 15975-95 जयपुर दिनांक 23/12/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सान्याअवि, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक विभाग (क-4/2) शासन सचिवालय जयपुर।
4. सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
5. निजी सचिव निदेशक एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (संतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि जयपुर।
7. निदेशालय के समस्त अधिकारीगण.................................।
8. एसीपी मुख्यावास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. सम्बन्धित अधिकारी सर्व श्री/श्रीमती/सुश्री ....
10. व्यक्तिगत पत्रावली।
11. आदेश पत्रावली।

(जयनारायण मीणा)
अतिरिक्त निदेशक एवं
संयुक्त शासन सचिव

जी 3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, जयपुर
raj.sje@rajasthan.gov.in
sjed01ada@gmail.com

दूरभाष नं. 0141-2220194
http://sjerajasthan.gov.in
D:\orderkp.docx